

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 अप्रैल 2008—वैशाख 9, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक 4409/डी. 130/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-04-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम,
2008

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) यह 1 अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नानुसार संशोधन सम्मिलित किया जावे, अर्थात् :—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद” के पश्चात् शब्द “या आयुर्वेद शिक्षक के पद पर” अंतःस्थापित किये जायें.

(दो) मूल अधिनियम के उपनियम (1-घ) में शब्द तथा अंक “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर)” के पश्चात् शब्द तथा अंक “तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य” अंतःस्थापित किये जायें.

(तीन) मूल अधिनियम के उपनियम (1-घ) के द्वितीय परंतुक में शब्द तथा अंक “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर)” के पश्चात् शब्द तथा अंक “तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य” अंतःस्थापित किये जायें.

(चार) उपनियम (1-घ) में शब्द “स्पष्टीकरण” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण-I”

(पांच) उपनियम (1-घ) के 'स्पष्टीकरण' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :-

स्पष्टीकरण-II— "इस उपनियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक 4409/डी. 130/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवाषिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 07 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2008)

**THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU)
(SANSHODHAN) ACT, 2008**

An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki Ayu) Adhinyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhinyam, 2008.

Short title and Commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2007.

2. In rule 56 of the Fundamental Rules applicable to the state of Chhattisgarh as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyam 1967 (No. 29 of 1967) here-in-after referred as the Principal Act, the following amendment shall be incorporated, namely :—

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Chhattisgarh Act, No. 29 of 1967.

(I) In sub-rule (1), after the words "every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to a Medical post", the words "or to an Ayurved Teacher Post" shall be inserted.

- (II) In sub rule (1-d) of the principal act, after the words & figure "Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987", the words & figure "and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to an Ayurved Teacher post, mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987" shall be inserted.
- (III) In second proviso of sub rule (1-d), after the words & figure "Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987", the words & figure "and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to an Ayurved Teacher post, mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987" shall be inserted.
- (IV) In sub rule (1-d) for the word "Explanation" the following shall be substituted, namely :—

"Explanation-I"

- (V) After the explanation of sub-rule (1-d), the following shall be added :—

Explanation-II "For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987" means a Government servant by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in Government Ayurved College, in accordance with the recruitment rule applicable to such appointment and shall also include the Ayurved Teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Ayurved Education Service."